की जमाराशियां क्रमशः 111802 करोड़ रुपए और 10763 करोड़ रुपए थी। विदेशी बैंकों के परिचालनों की तुलना भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ करना उचित नहीं होगा क्योंकि विदेशी बकों के कार्यकरण का क्षेत्र कुछ महानगरीय केन्द्रो तक ही सीमित होता है इसके अलावा, विदेशी बैंकों के परिचालन का स्वरूप सीमित होता है जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क होता है और सेवा के लिए अनगिनत छोटे-छोटे ऋण खाते भी होते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन पर निरंतर आधार पर बारीकी से नजर रखता है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपाय भी किए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए स्वीकृत ऋण

1063. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र को कुल कितना ऋण प्रदान किया और यह इनके द्वारा दिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : सितम्बर 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों की बकाया राशि 16183.78 करोड़ रुपए थी जो 17.3 प्रतिशत बैठती है जबकि 1989 की तदनुरूप अवधि के लिए यह राशि 14986 करोड़ रुपए थी जो कुल अग्रिमो का 18.5 प्रतिशत बैठती है।

Reimbursement of Centrally Sponsored Projects

1064. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Centre has not reimbursed several Centrally sponsored projects carried out by the Uttar Pradesh Government during the financial year 1990-91;

(b) if so, what are the details of these projects; what is the amount promised and what is the amount paid by the Centre;

(c) whether the Utter Pradesh Government is insisting for immediate payment of all dues by the Centre; and

(d) if so, what is Central Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (d) The information is being collected and would be laid on the Table of the House as soon as it become available.

Setting up of Joint Ventures in Nepal

1065. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether some discussions for setting up of joint ventures in Nepal have been held:

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government propose to take some initiatives in this regard; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHANTILAL PURUSHOTTAMDAS PATEL): (a) and (b) No specific discussions regarding setting up of Indo-Nepal joint ventures in Nepal have been held in the recent past.

(c) and (d) The establishment of joint ventures is an ongoing process between Indian and Nepalese firms.

Government encourages such measures as a means to promoting economic cooperation between India and Nepal.

गोल्डन टोबेको कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

1066. **डा० अबरार अहमद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क विभाग पनामा ब्राउन और "मिग" ब्राण्ड की सिगरेट का निर्यात करने वाली "गोल्डन टोबेको कम्पनी" द्वारा 150 करोड़ रुपये के शुल्क का अपवंचन किये जाने के मामले में इस कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कर अपवंचन का यह मामला सरकार की निगाह में सबसे पहले कब आया तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा कार्यवाही में ढील बरते जाने के लिये कौन-कौन से अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं ;

(ग) इन कम्पनियों का प्रबन्ध किस समूह द्वारा चलाया जा रहा है तथा इनके मालिक कौन हैं तथा इनके विरुद्ध अब तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन कम्पनियों के निर्यात लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा इन लाइसेंसों को कब तक रद्द कर दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गोल्डन टोबेको कम्पनी के विरुद्ध 150 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क अपवंचन के किसी मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

(ख) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) मै० गोल्डन टोबेको कंपनी डालमिया उद्योग समूह की कंपनी है जिसका प्रबंध एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष श्री संजय डालमिया हैं । ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए किसी दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

Hike in the Excise Duty on Polyester Filament Yarn

1067. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recent steep hike in the excise duty on Polyester Filament Yarn has adversely affected revenue collection; if so, what are the details thereof;

(b) whether it is also a fact that after the reduction of PFY duty per Kg. from Rs. 83.75 to Rs. 56.12 production of this commodity went up by 70 per cent and revenue income went up by 25 per cent;

(c) whether Government are aware that excise duty rate on PFY in neigbouring countries of Pakistan, Bangladesh and Nepal is almost nil (Rs. 5 per kg.) compared to India and production cost in Taiwan, South Korea and Japan is much lower than that in India;

(d) whether imposition of higher excise duty leads to smuggling of PFY; and

(e) if so, what corrective steps Government are taking in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) No, Sir.

(b) The excise duty on PFY was reduced from Rs. 83.75 to Rs. 56.12 per kg. in March, '88. The production